प्रेस नोट- थाना जैतीपुर
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 19/08/2025

“थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालो के विरुद्ध की गयी बडी कार्यवाही”

"थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो तस्करों को लगभग 02 किलो 54 ग्राम फाइन क्वालिटी अफ़ीम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग ₹6 लाख रुपये) सहित गिरफ्तार किया गया।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एंव श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 19.08.2025 को श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना जैतीपुर शाहजहाँपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बण्डिया खुर्द तिराहे से समय करीब 07.45 बजे अभियुक्तगण 1.अताऊल हक पुत्र मोहम्मद इस्माईल अंसारी निवासी ग्राम पोखरी कला थाना वरवाडीह जनपद लातेहर झारखण्ड 2.मोहम्मद नौसाद अंसारी पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम वरवाडीह थाना लातेहर कोतवाली जनपद लातेहर झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 2054 ग्राम अफीम बरामद हुयी। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1.अताऊल हक पुत्र मोहम्मद इस्माईल अंसारी निवासी ग्राम पोखरी कला थाना वरवाडीह जनपद लातेहर झारखण्ड उम्र 33 वर्ष

2.मोहम्मद नौसाद अंसारी पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम वरवाडीह थाना लातेहर कोतवाली जनपद लातेहर झारखण्ड उम्र 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0- 193/2025 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्तगण से कुल 2054 ग्राम अफीम व जामा तलाशी से 2150 रूपये

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 193/25 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ विवरणः-

अभियुक्तगण 1.अताऊल हक पुत्र मोहम्मद इस्माईल अंसारी निवासी ग्राम पोखरी कला थाना वरवाडीह जनपद लातेहर झारखण्ड 2.मोहम्मद नौसाद अंसारी पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम वरवाडीह थाना लातेहर कोतवाली जनपद लातेहर झारखण्ड को सन्तरी पहरा की निगरानी में हवालात मर्दाना से बाहर निकाल कर

एक एक कर बरामदगी बावत गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त अताऊल हक उपरोक्त ने बताया कि साहब हम अपने क्षेत्र में ही चलते फिरने अफीम कारोबारी से कम दाम में माल खरीद लेते है तथा ऊंचे दाम में माल बेचने हेतु दूसरे इलाके में माल लेकर आते है इसी क्रम में मुझे एक राहगीर के जरिये बातचीत हुई थी कि जनपद शाहजहाँपुर में अफीम खरीदने वाला एक कारोबारी है जिसका नाम पता नहीं जानता हूँ परन्तु उसने वीडियो कॉल पर बात कराते हुये हमे बन्डिया खुर्द तिराहा अन्तर्गत थाना जैतीपुर क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 19.09.25 को सवेरे मिलने को कहा था कि मैं तथा मेरा साथी नौसाद अंसारी दोनों हम लगभग एक-एक किलो अफीम लेकर आज यह डील करने शाहजहांपुर आये थे कि इत्तेफाक से एकदम पुलिस आ गयी और उन्होंने हमें पकड लिया। मुझसे जो अफीम बरामद हुई है यह अफीम अवैध है तथा जिस व्यक्ति को मुझे यह माल देना था उस व्यक्ति का नाम पता भी मैं नहीं जानता तथा जिस राहगीर के फोन नम्बर से मैंने बात की थी वह अथवा जिस व्यक्ति को वीडियो कॉल की थी वह नम्बर भी मुझे अब याद नहीं है। मेरी जेब से जो नगदी बरामद हुई है वह मेरे निजी खर्चे के पैसे है जिसका अफीम से कोई सम्बन्ध नहीं है। साहब गलती हो गयी है। तत्पश्चात अभियुक्त मोहम्मद नौसाद अंसारी उपरोक्त से घटना उपरोक्त बरामदगी बावत पूछताछ की गयी तो नौसाद अंसारी ने भी अपने साथी अताऊल हक उपरोक्त के पूछताछ कथन का समर्थन करते हुए बताया कि साहब मेरे तथा अताऊल हक के घर के बीच लगभग 60 किमी का अन्तर है तथा वास्तव में हम मुस्लिम समाज से है परन्तु आपस में रिश्तेदार नहीं है कि मैं पहली बार कुछ घर की परेशानियों के कारण इस अफीम के काम में एक चलते फिरते राहगीर की बातों में आकर लाभ कमाने के आशय से यह एक किलो माल जो मुझसे बरामद हुआ है, को लेकर वीडियो कॉल पर बताये व्यक्ति पता बन्डिया खुर्द तिराहा अन्तर्गत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर (उ0प्र0) आये थे कि अचानक पुलिस ने हमे पकड लिया हमारी जामा तलाशी में मेरी पैन्ट की जेब से जो पैसे आपको मिले है वह मेरे निजी खर्चे के है जिसका अफीम से कोई सम्बन्ध नहीं है। और कडाई से दोनों अभि0गण को डाटते हुए पूछा तो दोनों उपरोक्त कथन के अतिरिक्त यह कुछ नहीं बता पाये कि कहाँ से किस व्यक्ति से माल खरीदा था तथा किस व्यक्ति को शाहजहाँपुर में माल देना था तथा जिस व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात हुई थी उसका कोई नम्बर अब मुझे याद नहीं है तथा जिस व्यक्ति के फोन से हमने वीडियो कॉल की थी वह भी झारखण्ड का ही राहगीर था जिसका नाम पता मुझे ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर
2. हे0का0 79 तैय्यब अली थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर
3. का0 1909 तरुण सिरोही थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर
4. का0 2482 शिव डागर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर
5. का0 2224 रोहित थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर